न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 117/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. मांगीबाई पुत्री हजारीमल पत्नी चौथमल माहेश्वरी निवासी– महामन्दिर, जोधपुर। 2. बाबूलाल पुत्र मांगीलाल माहेश्वरी, निवासी– बालोतरा, हाल निवासी इचरगज, पूना, महाराष्ट्र। 3. गोमतीदेवी पुत्री मांगीलाल माहेश्वरी, निवासी–बालोतरा, हाल माता का थान जोधपुर। 4. देवी पुत्री मांगीलाल माहेश्वरी, निवासी–बालोतरा, हाल– गुडा मालानी, बाडमेर। जरिये खास मुख्तयार जितेन्द्र राठी पुत्र शिवनारायण राठी, जाति माहेश्वरी, निवासी– बालोतरा जिला बाडमेर।		1. श्री अग्रवाल पंचायत/समाज बालोतरा जरिये अध्यक्ष रामचन्द्र सिंघल पुत्र मदनलाल अग्रवाल निवासी– बालोतरा तहसील पचपदरा, बाडमेर। 2. श्री माहेश्वरी पंचायत/समाज बालोतरा जरिये अध्यक्ष अशोक डांगरा पुत्र रामविलास माहेश्वरी, निवासी– बालोतरा तहसील पचपदरा, बाडमेर। 3. सुखदेव पुत्र रामधन 4. पुष्पादेवी पत्नी रामधन 5. मदनलाल पुत्र रामधन जातियान– माहेश्वरी, निवासी–विरावा तहसील चितलवाना, जालोर। 6. परमेश्वरी पुत्री रामधन पत्नी गंगा किशन माहेश्वरी, निवासी– रेबारियों का टांका, तहसील बालोतरा, बाडमेर 7. कौशल्या पुत्र रामधन पत्नी भागीरथ माहेश्वरी, निवासी– सेडवा तहसील चौहटन, बाडमेर। 8. चुकी पुत्री रामधन पत्नी पुखराज माहेश्वरी, निवासी– मेलू तहसील धोरीमन्ना, बाडमेर। 9. गुडडी पुत्री रामधन पत्नी पुखराज माहेश्वरी, निवासी– सेडवा तहसील चौहटन, बाडमेर। 10. बाबूलाल पुत्र रामजस माहेश्वरी के का0मुकाम– 1. सुशीला पत्नी बाबूलाल 2. मनोहरलाल पुत्र बाबूलाल 3. नारंगी पुत्री बाबूलाल 4. संगीता पुत्री बाबूलाल निवासीगण–विरावा तहसील चितलवाना, जालोर 11. रमेश कुमार पुत्र रामविलास माहेश्वरी, निवासी– गाचयती चौक, खारियों का टांका तहसील पचपदरा, बाडमेर। 12. अशोककुमार पुत्र रामविलास माहेश्वरी, निवासी– गाचयती चौक, खारियों का टांका तहसील पचपदरा, बाडमेर। 13. मोहनी पुत्री कुन्दनमल पत्नी रामचन्द माहेश्वरी, निवासी– डाबली तहसील गुडामालानी, बाडमेर। 14. कमला पुत्री पुत्री कुन्दनमल पत्नी चम्पालाल माहेश्वरी, निवासी– मकान नं. 1/67 कमला नेहरू नगर, हाउसिग बोर्ड, पाली। 15. आसी पुत्री कुन्दनमल पत्नी चतुर्भुज माहेश्वरी, निवासी– जैन मन्दिर के पास ओसियॉ, जोधपुर। 16. देवी पुत्री कुन्दनमल पत्नी बद्रीनारायण माहेश्वरी, निवासी– जैन मन्दिर के पास ओसियॉ, जोधपुर। 17. शान्ती पुत्री कुन्दनमल पत्नी राधा किशन, माहेश्वरी, निवासी– ग्राम मेलू, तहसील

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

		गुडामालानी, बाडमेर। 18. सुशीला पत्नी बाबूलाल माहेश्वरी, , निवासी–विरावा, तहसील चितलवाना, जालोर। 19. मनोहरलाल पुत्र बाबूलाल माहेश्वरी, , निवासी–विरावा, तहसील चितलवाना, जालोर। 20. नारंगीदेवी पत्नी खेतीदास माहेश्वरी, निवासी–ग्राम लूणा, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर। 21. संगीता देवी पत्नी ओमप्रकाश माहेश्वरी, निवासी– रावलीयों का टांका, बालोतरा तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर। 22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा, बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.02.2017 जो राजस्व वाद संख्या 111/2016 अनवान श्री अग्रवाल पंचायत/समाज बालोतरा वगैराह बनाम राज0 सरकार वगैराह में उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री पूनाराम बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2– श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या एक की ओर से।
3– श्री कैलाशचन्द माहेश्वरी, रेस्पो0 संख्या दो की ओर से।
4– श्री सूर्यप्रकाश पवार रेस्पो0 संख्या 13, 15, 16 की ओर से।
5– श्री तेजाराम चौधरी, रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से।
6– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 22 की ओर से
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद नोटिस तामीली के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 10 फरवरी, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मौजा बालोतरा में रोजडा बेरा के नाम से ख0सं0 876, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885 की रकबा 28.10 बीघा भूमि एवं ख0सं0 874, 875, 877 की कुल रकबा 1.00 बीघा भूमि स्थित है। उक्त विवादग्रस्त भूमि के सहखातेदार मानमल थे। मानमल के हजारीमल गोदपुत्र थे जो फौत हो चुके है, हजारीमल के मांगीलाल, चम्पालाल व मांगीबाई तीन वारिसान थे, जिसमें से मांगीलाल भी फौत हो चुके थे तथा चम्पालाल अविवाहित ही फौत हो चुके है। अपीलार्थीगण मांगीलाल व हजारीमल के वारिसान है। उक्त विवादग्रस्त भूमि में मूल खातेदार मानमल का 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण रकबे में स्थित था। मानमल के जीवनकाल से ही अपीलार्थीगण के पिता मांगीलाल व हजारीमल का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस प्रार्थना पत्र इस प्रकार का पेश किया कि इस खसरान की भूमि में राजस्व रिकार्ड सम्वत 1952 के अनुसार रोजड़ा बेरा व तत्कालीन ख0सं0 376 में खातेदार महाजन, अग्रवाल व माहेश्वरी के पंच के नाम चार हिस्से में दर्ज थी। उक्त भूमि में चार हिस्सा अग्रवाल पंचायत के एवं एक हिस्सा माहेश्वरी पंचायती का था। उक्त भूमि

सम्पूर्ण अभिलेख अग्रवाल पंचायत, बालोतरा के खरीद की हुई थी। दिनांक 13.05.1926 को बापी पटटा अग्रवाल पंचायत के मुख्यान के नाम जारी हुआ था लेकिन पुनः सेटलमेन्ट सम्वत 1924 में उपरोक्त खसरान की भूमि अप्रार्थीगण के नाम हो गई। उक्त भूमि का शुद्धिकरण किया जाकर प्रार्थीगण के नाम सम्पूर्ण रकबा दर्ज किया जावें।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलार्थीगण को बिना कोई पक्षकार बनाये ही व सुनवाई का अवसर दिये ही अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 21.02.2017 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्तागण उपस्थित है। वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत अपीलाधीन प्रकरण में आवश्यक पक्षकार संस्थित नहीं किया गया जिस पर अपीलान्टस की ओर से अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र पेश किया साथ ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2017 की जानकारी दिनांक 26.06.2017 को इन खसरान भूमि की हल्का पटवारी से जमाबन्दी की नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 30.6.2017 को प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई, तब हुई। इस आधार पर अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु निवेदन किया गया। अपीलान्टस के अपील पेश करने हेतु प्रस्तुत अनुमति प्रार्थना पत्र एवं म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर न्यायालय हाजा के द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 30.08.2019 को निर्णय कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की गई तथा अपील को अन्दर म्याद शुमार किया गया है।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलार्थीगण की ओरसे श्री जितेन्द्र राठी को अपना आम मुख्तयार बनाते हुए उक्त प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से काबिल निरस्त के है क्योंकि रेस्पोडेन्टस द्वारा गलत तरीके से मानमल को लाऔलाद फौत बताकर उनके विधिक वारिसानों को कानूनी अधिकार से वंचित रखा। जबकि वास्तविकता यह है कि मानमल लाऔलाद फौत नहीं हुए थे। उनके हजारीमल गोदपुत्र थे तथा वे ही उनकी सेवाचाकरी करते थे। इस कारण मानमल के फौत होने पर उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि का 1/4 हिस्सा अपीलार्थीगण में निहित हुआ और अपीलार्थीगण उसी अनुसार उपरोक्त भूमि पर काश्त करते आ रहे है लेकिन राजस्व रेकर्ड में उनका नाम दर्ज न किया जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत तथ्य अंकित करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में नामा0 गलत तरीके से स्वीकृत कर दिया गया। मानमल के फौत होने पर राजस्व रिकार्ड में मानमल के स्थान पर अपीलार्थीगण का नाम कानूनन दर्ज होना चाहिये था। अपीलार्थी संख्या 1 मांगीबाई के पिता हजारीमल का देहान्त हो चुका है, लेकिन समस्त दस्तावेजों में उनके पिता हजारीमल का नाम मानमल के साथ में पुत्र की हैसियत से दर्ज है तथा अपीलार्थीगण मांगीलाल के वारिसान है तथा मांगीलाल हजारीमल के पुत्र है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण राज0 काश्तकारी अधि-- नियम लागू हुआ उस समय से ही विवादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्सा पर काबिज व काश्त

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

करते आ रहे है तथा काश्तकारी अधिनियम के अनुसार भी उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है लेकिन राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थीगण का मानमल के स्थान पर नाम दर्ज नहीं होने के कारण वर्तमान में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में उन्हें पक्षकार ही नहीं गया जबकि वे प्रभावित व पीडित पक्षकार रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। वादग्रस्त भूमि कभी भी रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज नहीं थी। तथा जिस वक्त सेटलमेन्ट हुआ उस वक्त मूल खातेदार अपीलार्थीगण के पूर्वज व रेस्पो0 संख्या 3 से 21 के पूर्वज थे। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा कुछ रेस्पोडेन्टस को प्रभाव में लेकर उक्त प्रार्थना पत्र का समर्थन करवा दिया जिसका हवाला देते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। धारा 136 के तहत उक्त प्रकरण को तय नहीं किया जा सकता था, क्योंकि धारा 136 में केवल लिपिकिय त्रुटि को ही शुद्ध किया जा सकता है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वक्त बन्दोबस्त की एंट्री को परिवर्तित कर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के विधि विरूद्ध तरीके से आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार की राजस्व रेकर्ड में शुद्धि धारा 136 के प्रार्थना पत्र पर नहीं की जा सकती है। इस कारण से अपीलाधीन आदेश इन आधार पर निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा समस्त मूल खातेदारों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया व न ही समस्त खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया। इसके अतिरिक्त मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत तहत लिपिकिय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है, किसी खातेदार के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण के खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने में भारी भूल की है। अपीलार्थीगण विवादग्रस्त भूमि में स्व0 मानमल के हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। स्व. मानमल के विरासत के अधिकार उनके फौत होने पर अपीलार्थीगण को प्राप्त हुए, लेकिन रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा जानबूझकर उन्हें उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि कानूनन वे खातेदार काश्तकार होने से प्रभावित पक्षकार है। इसी भूमि का राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत नियमित वाद सुखदेव बनाम रामचन्द्र सिंहल अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित है। धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में हुई लिपिकिय त्रुटि को पक्षकारान की सहमति के आधार पर दुरूस्त किया जा सकता है। अपीलार्थीया को रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये धारा 136 में पक्षकार नहीं बनाया गया था जिस कारण से उनके द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने अनुमति प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर विस्तृत निर्णय पारित करते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की गई थी साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन करने के भी निर्णय दिये जा चुके है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की

अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में निर्णय नजीर आरआरटी 2015(1) पेज 10, आरआरटी 2022(2) पेज 1284, फार्म नं. 3 के साथ अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दर्ज नियमित वाद की प्रति के दस्तावेज इत्यादि अवलोकनार्थ पेश किये गये।

प्रत्युतर में रेस्पो0 सं0 1 की ओर से ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपील में वर्णित रेस्पो0 संख्या 3 से 21 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में जो दावा पेश किया है उसमें मानमल को लाऔलाद फौत बताया गया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री मानमल के कोई जायन्दा औलाद नहीं होने से अपीलार्थीया उनके हक–हिस्से में दर्शित भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं रही है। अपीलार्थीया के द्वारा झूठे एवं मनगढत तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है जो अस्वीकार करने योग्य है।

रेस्पो0 सं0 1 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि सम्वत 1852 में पहली बार तैयार किये गये राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अग्रवाल पंचायत/समाज का 4 हिस्सा एवं 1 हिस्सा माहेश्वरी पंचायत/समाज के नाम (बएतमाम यानि पंच सरंक्षणकर्ता) सेवाराम खोले बलदेवराम, सागरमल, दौलतराम ने सिम्भूराम के नाम व मेसरी एक हिस्से में पना बेटा टीकमचन्द से एवं नाथू बेटो रामसिंघ रो के नाम दर्ज किया गया तत्पश्चात अग्रवाल पंचायत/समाज एवं माहेश्वरी पंचायत/समाज के नाम भूमि का वर्ष 1926 सम्वत 1982 को बापी पटटा संख्या 147/25 जारी किया गया। जिसमें अग्रवाल समाज के मुख्यान सेवाराम खोले बलदेवराम, रामजस बेटा दौलतराम, जमनाराम बेटा बक्सीराम, सेवाराम खोले चुन्नीलाल अग्रवाल महाजन व माहेश्वरी समाज के मुख्यान बंशीधर बेटा गंगाराम, मानमल बेटा वनेचन्द व शिवनारायण बेटा बिजू, भगतीराम बेटा नथू से एवं बसरा बिराई मुकनदास बेटा खूबचन्द जाति माहेश्वरी महाजन पंच के नाम जारी किया गया था। जिसमें रोजडा बेरे के ख0सं0 465, 466, 467 रकबा क्रमशः 00.12, 23.09, 21.12 कुल रकबा 45.13 बीघा अंकित है दिनांक 13.5.26 को जारी बापी पटटा का पुनः पटटा बापी गांवा का उक्त दिनांक 8.4.1943 को जारी किया गया। सम्वत 2024 में नया राजस्व रिकार्ड तैयार किया गया जिसमें बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज कर दिया गया। उक्त भूमि पूर्व में रोजडा बैरा दर्ज हुई तथा वर्ष 1926 में खतौनी बन्दोबस्त में मौजा बालोतरा अनुसार दर्ज हुआ। खसरा संख्या 465, 466, 467 की कुल रकबा 45.13 बीघा भूमि दर्ज हुई। तत्पश्चात नये खसरे बने जिनकी संख्या 12 कर दी गई एवं रकबा 29.10 बीघा दर्ज कर दिया गया। सेटलमेन्ट विभाग की कार्यवाही में उक्त इन्द्राजात पुनः पूर्व अनुसार दर्ज करने थे जो नहीं कर अलग–अलग दर्ज कर दी गई। तत्समय में राजस्व अभिलेख में दर्ज अग्रवाल व माहेश्वरी पंचायत बालोतरा के तत्कालीन मुख्यान फौत हो चुके थे किन्तु उन्हीं के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये गये। मुकनदास पुत्र खुबचन्द का देहान्त होने पर उनके पुत्र रामेश्वरदास, रामेश्वरदास के फौतगी पर उनके पुत्रान के नाम दर्ज कर दिये गये। सम्वत 2024 के हुए सेटलमेन्ट में सभी दर्ज व्यक्तियों को खातेदार बना दिया गया एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का हिस्सा हटा दिया गया। तथा बालोतरा खालसा गांव के पूर्व में दर्ज 165 की जरीब को 132 की जरीब कर दी गई जिसके कारण भूमि का रकबा 29.10

वर्तमान अभिलेख में दर्ज सभी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया था और अधिनस्थ न्यायालय में लगभग सभी पक्षकारान ने उक्त वर्णित भूमि को रेस्पो0 संख्या 1 व 2 समाज के नाम दर्ज किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रकट की थी तथा कोई विरोध प्रकट नहीं किया गया।

रेस्पो0 सं0 1 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलार्थीया की ओर से एक दावा मांगीबाई बनाम सुखदेव अनवान नाम से प्रस्तुत किया गया था जो वर्ष 2022 में ही अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज हो गया था। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दर्ज अन्य प्रकरण में राजीनामा भी पेश हुआ था तथा राजीनामे के पश्चात प्रकरण जरिये जरिये विड्रो निस्तारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.01.2014 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी बाबत पक्षकार संस्थित किये जाने का पेश किया गया था जिस पर न्यायालय के द्वारा निर्णय देकर उसे अस्वीकार कर दिया गया था। इन तथ्यों के आधार पर भी अपीलार्थीया की अपील स्वीकार करने योग्य नहीं मानी जा सकती है। अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत अपील में संस्थित किये गये रेस्पो0 संख्या 10 बाबूलाल के देहान्त होने पर कायम मुकाम की तलबी की कार्यवाही नहीं की जिसके आधार मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मेन्टनेलेबल नहीं हो सकती।

रेस्पो0 सं0 2 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित पक्षकारान में से किसी भी पक्षकार को अपीलाधीन आदेश से कोई लेनादेना नहीं है क्योंकि सभी पक्षकारान को प्रारम्भ से ही यह तथ्य एवं राजस्व रेकर्ड की जानकारी में है कि उक्त वर्णित भूमि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के समाज/पंचायत में नाम दर्ज रही थी जो सेटलमेन्ट के समय गलत खसरान भूमि में व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दी गई थी, जिसके सम्बन्ध में तृतीय पक्षकार की कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं रही है जिसके आधार पर वो उक्त अपीलाधीन आदेश को चुनौती पेश करते और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी अपीलाधीन आदेश के जरिये राजस्व रेकर्ड में उक्त त्रुटि की दुरूस्ती करने के आदेश प्रदान किये गये है वो पूर्ण रूप से उचित है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 सं0 2 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलार्थीया की ओर से प्रस्तुत यह अपील आम मुख्तयार श्री जितेन्द्रकुमार राठी पुत्र शिवनारायण राठी के द्वारा प्रस्तुत की गई है, अपीलार्थीया स्वयं की ओर से नही की गई है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीया श्री मानमल की विधिक वारिसान यानि उनकी पोती है, के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा के समक्ष कोई विधिक प्रमाण पेश नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि वह मानमल की की पोती है। ऐसे में अपीलार्थीया को चाहिये कि वे अपने हक–अधिकारों के सम्बन्ध में नियमित वाद दायर करते हुए वांछित अनुतोष प्राप्त करने की कार्यवाही करती, जरिये अपील के उनको किसी प्रकार से वादग्रस्त भूमि में हक–हिस्सा नहीं मिल सकता। उक्त वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 समाज/पंचायत की ओर से नियुक्त पंच महाजन के नाम दर्ज रही है। अपीलार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण उसे अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही अपीलार्थीया से किसी प्रकार से रेस्पोडेन्टस को हक–अधिकार तय कराने थे। राजस्व

न्यायालय के द्वारा सभी पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर तथा रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर गौर करने व प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2017 के द्वारा रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सरहद मौजा बालोतरा के रोजडा बेरा जमीन के वर्तमान खेत ख0सं0 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885 रकबा 29.10 बीघा भूमि के राजस्व अभिलेख को दुरूस्त कर राजस्व अभिलेख में 80 प्रतिशत हिस्सा अर्थात 23.12 बीघा भूमि का अग्रवाल पंचायत का व 20 प्रतिशत हिस्सा अर्थात 05.18 बीघा भूमि माहेश्वरी पंचायत के नाम दर्ज किया जाकर राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किया गया है जो नियमानुसार बहाल रखे जाने योग्य है। रेस्पो0 अधिवक्ता के द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फॉर्म नं. 3 के साथ दस्तावेजों के प्रतियॉ अवलोकनार्थ पेश की।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि कालान्तर में ग्राम रोजडा बेरा की यह भूमि जिसके पूर्व में खसरा संख्या 465, 466, 467 थे, इस भूमि में 4 हिस्सा अग्रवाल महाजन व 1 हिस्सा माहेश्वरी महाजन के नाम जरिये ऐहतिमाम/प्रबन्धक दर्ज था। तत्पश्चात नई जमाबन्दी तैयार करते वक्त भूमि समाज के स्थान पर ऐहतिमाम/प्रबन्धकों के एवं उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज कर दी गई। वर्तमान में इस भूमि के खसरा संख्या क्रमशः 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884 एवं 885 कुल रकबा 29.10 बीघा मौजा बालोतरा के रोजडा बेरा में स्थित है। इस सम्बन्ध में ऐहतिमाम/प्रबन्धकों के उत्तराधिकारियों के द्वारा दायर अधिकतर घोषणात्मक दावे व माननीय राजस्व मण्डल में दायर निगरानी खारिज या जरिये राजीनामा विड्रा हो चुके है। सुखदेव वगैराह ऐहतिमाम/प्रबन्धक उत्तराधिकारियों के द्वारा नोटेरी से सत्यापित समझौता इकरारनामा दिनांक 27.05.2016 प्रस्तुत कर इस भूमि को 80 प्रतिशत अग्रवाल समाज व 20 प्रतिशत माहेश्वरी समाज का होना स्वीकार करते हुए तदनुसार रिकार्ड में दर्ज किये जाने में एतराज नहीं होना प्रतिवेदित किया है। सारांशतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा न्यायहित व व्यापक जनहित में रेकर्ड को दुरूस्तीकरण हेतु आदेश पारित किया जाना पाया गया है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2017 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 10 फरवरी, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर